Urban Development and Housing Development
Government of Jharkhand

झारखण्ड सरकार

DIPP Point No. 75

Question	Remarks
Area 4a: Construction Permit Enablers Recommendation 75: Establish a dedicated conflict resolution mechanism for land and construction permits.	**Source: Page 43, Section :19.10 (JBBL 2016)** This bye-law has empowered the State Building Tribunal to address the conflict between Authority and Applicant on the domain of availing construction permit. The State Building Tribunal has been established and operational to provide the service to citizen,
URL Page 43, Section :19.10 (JBBL 2016) http://www.jharkhand.gov.in/documents/10179/53951/Jharkhand%20Building%20Bye%20Laws%202016.pdf **Notification:** http://www.jharkhand.gov.in/web/guest/notifications	

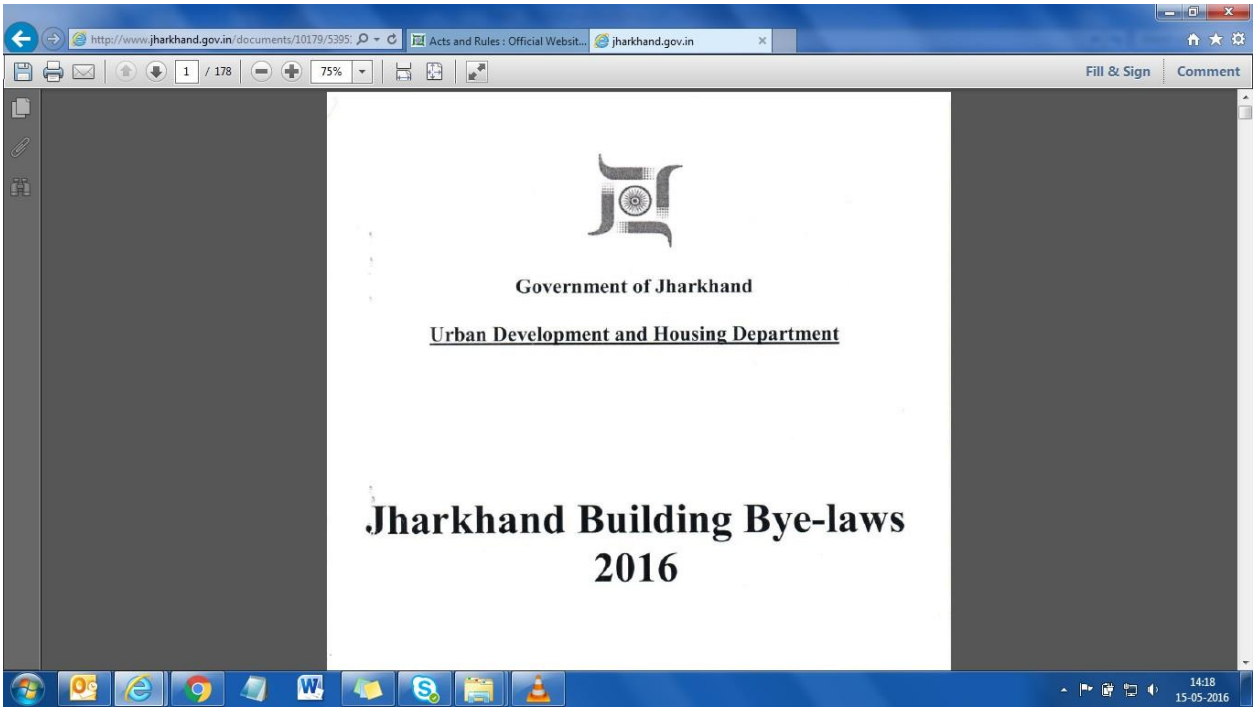

Urban Development and Housing Development
Government of Jharkhand

झारखण्ड सरकार

Exhibit: Empowered the State Building Tribunal to address the conflict (Page 43, Section 19.1 (JBBL 2016))

may be out sourced by the Authority as may be deemed necessary. The team shall report compliance of bye-laws, natural lighting, and ventilation, lift besides structural and electrical safety. If any short comings/ deficiencies or violations are noticed during inspection, the occupants shall ensure the compliance of the same within a specified time frame of six months. If not complied with, the building shall be declared unsafe. The period of inspection shall be once in five years.

19.10 An appeal against the decision of the Authority shall lie with the respective Tribunal under the relevant Act.

19.11 Grade A Accredited architect may also issue occupancy certificate after being fully satisfied regarding compliance of all provisions of Building Bye-law and others related. Acts

19.12 In case of all the deviations which are within the condonable limits, a temporary conditional certificate of occupancy may be granted by the Authority.

Conflict – has been directed to tribunal for solution

Urban Development and Housing Development
Government of Jharkhand

झारखण्ड सरकार

Exhibit: Establishment of State Building Tribunal

झारखण्ड सरकार
नगर विकास विभाग

अधिसूचना

संख्या–1/स्था0/मु0स्था0/न0 वि0/131/2011 – 985 राँची, दिनांक– 04-03-14/

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम–2011 के अध्याय–39 की सहपठित धारायें 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453 एवं 454 में नगर निकायों के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी एवं उनके समकक्ष पदाधिकारियों को भवन निर्माण की स्वीकृति एवं उससे संबंधित विभिन्न प्रकार के कृत्यों के संबंध में शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गई हैं।

उक्त धाराओं के संदर्भ में निकाय के पदाधिकारियों द्वारा की गयी कार्रवाई (Action) के विरूद्ध उद्भूत अपीलीय मामलों पर सुनवाई एवं विनिश्चय (Hearing & Decision) करने के लिए झारखण्ड के राज्यपाल झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम–2011 की धारा–442 में निहित झारखण्ड नगरपालिका भवन न्यायाधिकरण की अपीलीय शक्तियाँ राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार के अन्तर्गत गठित अपीलीय न्यायाधिकरण को अधिकृत करते हैं।

2. राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार के अन्तर्गत संचालित अपीलीय प्राधिकार का क्षेत्राधिकार अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से झारखण्ड राज्य के समस्त नगर निकायों पर होगा।

3. राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार अधिनियम–2001 (अंगीकृत) की धारा–89 (5), 90 एवं 91 में अंकित प्रावधानों के अध्ययधीन राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार के अपीलीय न्यायाधिकरण का कार्य भी पूर्ववत् करते रहेंगे।

4. अपीलीय न्यायधिकरण को सिविल प्रोसिड्योर कोड 1908 के अधीन सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त होंगी।

5. झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम – 2011 के अध्याय–39 में अंकित अपील से संबंधित मामले परिसीमा अधिनियम, 1963 के भाग–II एवं भाग–III के उपबंध झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम–2011 की धारा–442 के अधीन दायर प्रत्येक अपील पर भी लागू होगें।

6. राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार में गठित अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील हेतु लम्बित

abhi- y sir adhisuchna-23

मामला एवं झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 के अध्याय–39 में किये गये उपबंध से संबंधित कोई भी मामला किसी सिविल न्यायालय की अधिकारिता क्षेत्र में नहीं लाया जायेगा,

झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से।

ह०/–

(अजय कुमार सिंह)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–7/न0 वि0/गठन/105/2013..... राँची, दिनांक–.....

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. प्रकाशनोपरान्त अधिसूचना की 100 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

ह०/–

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–7/न0 वि0/गठन/105/2013.–985.. राँची, दिनांक– 04-03-14

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री नगर विकास विभाग के आप्त सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची /महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/महाधिवक्ता, झारखण्ड, राँची/उपाध्यक्ष, राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, राँची/सभी सदस्य, अपीलीय न्यायाधिकरण, राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, राँची/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष, झारखण्ड सरकार/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, झारखण्ड/ सभी उपायुक्त, झारखण्ड/नगर विकास विभाग के सभी पदाधिकारी, झारखण्ड, राँची/सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/सभी कार्यपालक पदाधिकारी/सभी विशेष पदाधिकारी शहरी स्थानीय निकाय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/3/14

सरकार के सचिव।

अपीलीय न्यायाधिकरण, राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, राँची।

M.A. 12/2013 (अनिल पंडित उर्फ अनिरूध्द मिश्रा बनाम राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, राँची)

03.06.2016 – अपीलकर्त्ता लम्बे समय से अनुपस्थित है। प्राधिकार के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं। अपील अंगीकरण करने के बिन्दु पर सुनवाई हेतु लंबित है। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलकर्त्ता अपील दाखिल करने की अगली तिथि से, लगातार अनुपस्थित रहे हैं। दिनांक – 26.012.2013 के आदेश से यह स्पष्ट है कि अपीलकर्त्ता को, अगली निर्धारित तिथि को, निश्चित रुप से उपस्थित होकर, अपना पक्ष रखने का आदेश दिया गया था परन्तु अपीलकर्त्ता उपस्थित नहीं हुए। पिछली तिथि को भी यही आदेश पारित किया गया था, परन्तु अपीलकर्त्ता की ओर से कोई भी कारवाई नहीं की गई। अतः अदम पैरवी के अभाव में अपील खारिज किया जाता है।

ह0/-	ह0/-	ह0/-
सदस्य,	सदस्य,	अध्यक्ष,
अपीलीय न्यायाधिकरण,	अपीलीय न्यायाधिकरण,	अपीलीय न्यायाधिकरण,
राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, राँची।	राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, राँची।	राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, राँची।

ज्ञापांक - 08 (अ०न्याया०)/अ0न्याया0, राँ0क्षे0वि0प्रा0, राँची। दिनांक - 6/6/16

प्रतिलिपि:- उपाध्यक्ष, राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार को सूचनार्थ प्रेषित।

अध्यक्ष,
अपीलीय न्यायाधिकरण,
राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, राँची।